शिक्षक दिवस के अवसर पर 52 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान से होंगे सम्मानित

❐ प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर 4 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार

रायपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य में 05 सितंबर 2023 को प्रातः 10 बजे से राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और अति विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे और विशिष्ट अतिथि संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव होंगे।

शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 52 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 48 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 48 शिक्षिकों में से प्रत्येक को 21-21 हजार रूपाए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हजार रूपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

राज्य स्मृति पुरस्कार- शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के 04 महान साहित्यिक विभूतियों के नाम पर 04 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा। इनमें रायपुर जिले की प्रधान पाठक ममता अहार को ''डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्मृति पुरस्कार'', कोण्डागांव जिले की प्रधान अध्यापक मधु तिवारी को ''डॉ. मुकुटधर पाण्डेय स्मृति पुरस्कार'', रायगढ़ जिले की व्याख्याता रश्मि वर्मा को ''डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार'' और खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले की शिक्षक एलबी इन्दिरा चन्द्रवंशी को ''श्री गजानन्द माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार'' प्रदान किया जाएगा।

राज्य शिक्षक पुरस्कार-2022

राज्य शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2022 से सम्मानित होने वाले 48 शिक्षकों में से कांकेर जिले के शिक्षक एल.बी. कृष्णपाल राणा और शिक्षक एल.बी. रूखमणी साहू, नारायणपुर जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. देवेन्द्र कुमार देवांगन और प्रधान पाठक ब्रजेश्वरी रावटे, जगदलपुर जिले के शिक्षक महेश कुमार सेठिया और व्याख्याता रमेश कुमार उपाध्याय, दंतेवाड़ा जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. खेमलाल सिन्हा और उच्च श्रेणी शिक्षक उषा भूआर्य, बालोद जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. श्रवण कुमार यादव और सहायक शिक्षक एल.बी. पुष्पलता साहू, राजनांदगांव जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. तुलेश्वर कुमार सेन और शिक्षक एल.बी. पारूल चतुर्वेदी, दुर्ग जिले के प्रधान पाठक यशवंत कुमार पटेल और शिक्षक एल.बी. सुश्री के. शारदा, कबीरधाम जिले की शिक्षक यक्ष चंद्राकर और प्रधान पाठक शिव कुमार बंजारे, बेमेतरा जिले की शिक्षक एल.बी. ज्योति बनाफर और व्याख्याता एल.बी. सुषमा शुक्ला शर्मा, महासमुंद जिले के व्याख्याता एल.बी. अनिल कुमार प्रधान और सहायक शिक्षक एल.बी. डोलामणी साहू, गरियाबंद जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. संतोष कुमार तारक और सहायक शिक्षक एल.बी. लताबेला मोंगरे के नाम शामिल है।

इसी प्रकार वर्ष 2022 राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए रायपुर जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. उत्तम कुमार देवांगन और सहायक शिक्षक एल.बी. डॉ. गोपा शर्मा, धमतरी जिले के व्याख्याता एल.बी. राजूराम साहू और सहायक शिक्षक एल.बी. दीनबुधु सिन्हा, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. विनोद कुमार डड़सेना और प्रधान पाठक आशा साहू, जांजगीर चांपा जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. राजेश कुमार सूर्यवंशी और व्याख्याता एल.बी. अनुराग तिवारी, रायगढ़ जिले के व्याख्याता एल.बी. भोजराम पटेल और सहायक शिक्षक एल.बी. संतोष कुमार पटेल, बिलासपुर जिले के व्याख्याता एल.बी. सुशील कुमार पटेल और सहायक शिक्षक एल.बी. रामधन पटेल, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की सहायक शिक्षक एल.बी. अदिति शर्मा और सहायक शिक्षक एल.बी. भीष्म प्रसाद त्रिपाठी, कोरबा जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. गोकुल प्रसाद मार्बल और शिक्षक मुकुन्द केशव उपाध्याय, जिला सक्ती के सहायक शिक्षक एल.बी. पुष्पेन्द्र कुमार कौशिक और सहायक शिक्षक एल.बी. मीरा देवांगन, कोरिया जिले के सहायक शिक्षक एल.बी. रूद्र प्रताप सिंह राणा और व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य डॉ. विनोद पाण्डेय, सूरजपुर जिले की व्याख्याता निशा सिंह और सहायक शिक्षक एल.बी. दिनेश कुमार साहू, सरगुजा जिले की व्याख्याता अनामिका चक्रवर्ती और व्याख्याता एल.बी. अंचल कुमार सिन्हा, बलरामपुर जिले के व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य बाबूलाल लहरे और सहायक शिक्षक एल.बी. रमेश कुमार साकेत का नाम शामिल है।

महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्य अभियंता ने मांगी 50 लाख की रिश्वत, 5 लाख रुपए लिए एडवांस, कोर्ट ने सुनाई सजा

रायपुर (आरएनएस)। जल संसाधन विभाग (अंबिकापुर) के मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अपराधी मुख्य अभियंता ने रेन नदी पर बने एनीकट के भुगतान के एवज में 50 लाख रूपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद प्रार्थी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत की थी और एसीबी की टीम ने मुख्य अभियंता को 5 लाख रूपए बतौर एडवांस राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले की शिकायत एसीबी में विनित सिंह, प्रोप्राइटर मेसर्स विनित सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई थी. प्रार्थी ने एसीबी को बताया था कि रेन नदी में उसकी कंपनी को द्वारा एनीकट बनाने के लिए करीब 17 करोड़ 62 लाख रूपए का ठेका मिला था. जिसमें 13 करोड़ का काम हो चुका था और सप्लीमेंट्री का काम करीब 5 करोड़ 34 लाख रूपए का था, जिसमें करीब 1.50 करोड़ का भुगतान प्रार्थी का रूका था और इसी भुगतान के एवज में मुख्य अभियंता द्वारा 50 लाख रूपए की रिश्वत मांगी गई थी। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, राशि न जमा करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास और धारा 13 (1) डी, सहपठित धारा 13 (2) के तहत 4 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न जमा कराने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

निजी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की गलत जानकारी देने पर होगी कार्यवाई, आदेश जारी

रायपुर (आरएनएस)। मलेरिया, डेंगू एवं अन्य जनित रोग के लिए संचालक महामारी नियंत्रक ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी किया है. तीन बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि डेंगू के सम्भावित रोगियों की पुष्टि एलाइजा टेस्ट द्वारा किया जाए. रेपिड टेस्ट में पॉजिटिव मरीजों का एलाइजा टेस्ट कराया जाए। आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पताल में जहां डेंगू मरीजों की संख्या ज्यादा होने की जानकारी मिल रही है वहां भेंट करके जानकारी पुष्टि करें. गलत जानकारी होने पर नर्सिंग होम एक्ट की तरह कार्रवाई किया जाए.

अपने ही साथी को पीट-पीटकर माला डाला, 6 गिरफ्तार

भिलाई (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ पेठा बनाने का व्यवसाय करने आए एक युवक की उसी के साथियों ने पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और गंभीर हालत में उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में छोडक़र भाग गए थे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर छावनी पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है तथा मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार छावनी पुलिस को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से रविवार को सूचना आई थी कि मरचुरी में एक युवक की मौत हो गई तथा मामला मारपीट का लग रहा है। मृत युवक को शनिवार रात करीब 2 बजे घायल हालत में उसके साथी छोड़ कर भाग गए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची इसी दौरान जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन भी वहां पहुंच गये तथा मृतक की पहचान विपिन राठौर पिता राजेंद्र राठौर (38 साल) निवासी सहजानपुर जिला गांव कटगा उत्तर प्रदेश के रूप में की गई। छावनी पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, वहीं दो फरार हैं।

कार की चपेट में आकर बाइक सवार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत

कोरबा (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में एक बार फिर हुई दुर्घटना में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत हो गई। स्कूल से काम खत्म कर घर लौट रहे बाइक सवार इस कर्मी की टक्कर कार से हो गई। घटना में बाइक सवार कर्मचारी की स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कार डिवाइडर में लगे खंभे से जा टकराई। इससे क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस मामला कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार घटना शनिवार की दोपहर ग्राम करतली की ओर से आ रहे बाइक क्रमांक में ग्राम ढुकुपथरा निवासी व माध्यमिक शाला करतली संकुल में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी गजपाल सिंह श्याम 37 वर्ष छुट्टी होने पर घर लौट रहा था। इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रासिंग के दौरान बिलासपुर की तरफ से तेज रफ्तार आ रहे कार क्रमांक सीजी 16 सीजे 3882 के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, इससे गजपाल छिटककर दूर जा गिरा और गंभीर चोटें लगने से मौके पर मौत हो गई। वहीं कार भी अनियंत्रित होकर सडक़ के डिवाइडर व खंभे से जा टककराई। दुर्घटना के वक्त वहां से गुजर रही ग्राम पंचायत डोंगानाला की सरपंच पत्रिका खुरसेंगा आहतों के मदद के लिए रुकी व डायल 112 को सूचना दी।पुलिस के पहुंचने पर घायल बाइक सवार को उपचार के लिए अस्पताल ले गए, पर मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा स्वजनों को सौंप दिया।

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कंपनी द्वारा उक्त क्रासिंग पर ओवर ब्रिज नही बनाए जाने पर क्षेत्र के लोगों में नाराजगी व्याप्त है। मजबूरी में रोड पार करने वाले लोगों का कहना है कि सडक़ निर्माण कंपनी की अनदेखी का ही दुष्परिणाम है कि दुर्घटनाएं घटित होने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे बनने के दौरान ही करतली. हरदीबाजार मार्ग क्रासिंग पर अंडर या ओवर पास बनाने की मांग आसपास अनेक पंचायतों के सरपंचों व ग्रामीणों ने करते हुए स्थानीय विधायक को भी अवगत कराया है, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाली से ग्राम करतली होते हुए हरदीबाजार पीएमजीएस पहुंचमार्ग पर वन विभाग विश्रामगृह के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर ओवर ब्रिज निर्माण नही होने से इस मार्ग पर आवागमन करने वाले लोगों को यहां पर जान सांसत में डाल कर क्रासिंग पार कर आने-जाने की मजबूरी बनी हुई है। उक्त मार्ग रंगोले, करतली, पुटा, उड़ता से होते हुए नुनेरा-बांधाखार और नोनबिर्रा से होकर हरदीबाजार को जोडऩे का प्रमुख शार्टकट रास्ता है और इसमें चौबीसों घंटे आवागमन बना रहता है। लेकिन फोरलेन सडक़ निर्माणकर्ता मेसर्स दिलीप बिल्डकान कंपनी द्वारा वन विभाग विश्राम गृह के पास ओवर ब्रिज निर्माण में अनदेखी के फलस्वरूप मार्ग क्रासिंग करने वालों को जान जोखिम में डालकर व्यस्ततम मार्ग को पार करना पड़ रहा है।

तालाब में डूबने से छात्र की मौत मामले में छात्रावास अधिक्षक सस्पेंड

बीजापुर (आरएनएस)। बीजापुर के तोयनार स्थित प्री मैट्रिक छात्रावास में रहने वाले 11वीं के एक छात्र की तालाब में डूबकर मौत होने के इस मामले की जांच के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षक भूपेश गंगवाल को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस मामले में जांच के आदेश दिये गये हैं।

बता दें कि कुछ दिनों पहले छात्रावास में रहने वाला 16 वर्षीय छात्र राजेश टिगे अपने सहपाठियों के साथ तालाब में नहाने गया था। छात्र की मौत भले ही तालाब में डूबने से हुई हो किंतु इस मामले में आश्रम अधीक्षक की भी लापरवाही सामने आयी थी। दरअसल छात्रावास में पानी की व्यवस्था क लिएबोर लगा हुआ है जो कि पिछले कुछ दिनों से खराब पड़ा था, जिसकी वजह से बच्चों को तालाब में जाकर नहाना पड़ रहा था। वहीं अगर छात्रावास में बोर खराब था, तो आश्रम अधीक्षक को इसकी सूचना विभाग को देनी थी,किंतु उन्होने इसकी सूचना नहीं दी। जिसकी वजह से छात्रों को तालाब जाना पड़ता था और इस लापरवाही ने एक छात्र की जान ले ली। कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्री मैट्रिक छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक भूपेश गंगवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, वहीं इस मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 सितम्बर को

रायपुर। आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वाधान में शनिवार 9 सितम्बर 2023 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। जिसमें जिला न्यायालय, एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे, दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, दंड प्रकिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।

एस्मा लगने के बाद ड्यूटी पर न लौटने वाले करीब 1200 स्वास्थ्य कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त

रायपुर (आरएनएस)। तीन जिलों के कलेक्टरों ने कल एस्मा लगने के बाद ड्यूटी पर न लौटने वाले करीब 1200 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें कोरबा में 337, जगदलपुर में 269, कांकेर में 568 शामिल हैं।

आज कुछ और जिलों में आदेश जारी होने के संकेत हैं । वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी शनिवार को 13 वें दिन भी हड़ताल पर रहेंगे। दूसरी ओर कलेक्टरों के आदेशों का विरोध तेज हो रहा है । कर्मचारी नेताओं ने इसे सरकार का दमन कहते हुए चुनाव में देख लेने की चेतावनी भी दी है।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांत अध्यक्ष, संरक्षक पीआर यादव ने कहा कि हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी हिटलरशाही है। इसका संघ कटु शब्दों में निंदा करते हुए राज्य शासन से मांग करता है कि बर्खास्तगी आदेश तत्काल वापस लिया जाए और हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी मांगों पर लोकतांत्रिक तरीके से निराकरण किया जाए। यह कार्यवाही 35 वर्ष पूर्व सुश्री जयललिता तत्कालीन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के उसे बरबर कार्यवाही की याद दिलाती है जिन्होंने तमिलनाडु के हड़ताली चार लाख कर्मचारियों को निलंबित/ बर्खास्त की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ पूरे देश के राज्य के कर्मचारियों ने तब आंदोलन कर तमिलनाडु के बर्खास्त कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित किए थे और तमिलनाडु सरकार को अपने निर्णय वापस लेने के लिए बाध्य किया गया था। यादव ने कहा कि तमिलनाडु के कर्मचारियों की हड़ताल का इतना असर हुआ कि जयललिता की एआईडीएमके विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गई थी। लोकतंत्र में तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं है। हड़ताली कर्मचारी अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों के अंतर्गत अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर गांधीवादी तरीके से चिरनिद्रा में सो रहे स्वास्थ्य मंत्री और राज्य शासन को जागने का प्रयास किया। कर्मचारियों पर हमला प्रदेश के कर्मचारियों को स्वीकार नहीं होना चाहिए और इसके विरुद्ध सोमवार से सभी जिला तहसील मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टरों का पुतला दहन कर हड़ताली कर्मचारियों के साथ एकजुटता का संदेश देना हमारी नैतिक दायित्व है।

सुपारी देकर कराई बैगा की हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार

बस्तर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जादू-टोना के शक में एक बैगा की सुपारी देकर हत्या करा दी गई। इसके लिए आरोपियों को 85 हजार रुपए में सुपारी दी गई थी। मामले में दो कांट्रैक्ट किलर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

मिली जानकारी के अुनसार भानपुरी थाना क्षेत्र में खंडसरा गांव के मरदियापारा का रहने वाला रहकर झाडफूंक का काम करने वाला सिरहा मंगडू बघेल (53) 8 अगस्त से लापता था। जिसकी 2-3 दिन बाद सड़ी-गली हालत में लाश मिली थी। मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि गांव के रहने वाले रामधर मंडावी, मनीराम बघेल, कसरू बघेल और सुकमन पोडय़ामी का मंगडू से हमेशा विवाद होता रहता था। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ की।

जिसमें पता चला कि इन चारों ने भानपुरी के रहने वाले कालीचरण कश्यप और कोंडागांव जिले के रहने वाले विजय मंडावी नाम के 2 लोगों को हत्या की सुपारी दी थी। इनके बीच 85 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था। मर्डर से पहले 40 हजार रुपए एडवांस में भी दिए थे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को भी हिरासत में लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि, 8 अगस्त को मंगडू जब बाजार से घर लौट रहा था तो उस समय दोनों ने उसे घेर लिया था। जिसके बाद विजय मंडावी ने मंगडू के सिर पर डंडे से वार किया। जब वो बेसुध होकर जमीन पर गिरा तो उसे घसीटकर पास में ही झाडिय़ों के पास लेकर गए। जिसके बाद फिर से उसके सिर पर डंडे से 3 से 4 वार किये और इसके बाद भी मंगड़ू की मौत नही हुई तो उन्होनें पैरो से उसका गला दबाकर उसकी हत्या की। हत्या के बाद बाइक पर शव को लादकर करीब 5 किमी दूर स्थित एक बरसाती नाले में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। जब लाश पूरी तरह से सड़ गई और बदबू आने लगी तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी।

इस हत्या के संबंध में सुपारी देने वालों ने पुलिस को बताया उनके परिवार में पिछले डेढ़ साल के अंदर किसी ने किसी सदस्य की मौत होती रहती थी। जिसे लेकर इनको मंगड़ू द्वारा जादू-टोना किये जाने का शक था। इसी के चलते उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 737 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

❐ प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बीजापुर जिले में और कम वर्षा सरगुजा जिले में

रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 737 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 03 सितम्बर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1306.3 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 336.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 655.7 मिमी, बलरामपुर में 699.7 मिमी, जशपुर में 595.3 मिमी, कोरिया में 708.7 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 715 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 834.2 मिमी, बलौदाबाजार में 732.4 मिमी, गरियाबंद में 671.4 मिमी, महासमुंद में 768.1 मिमी, धमतरी में 731.2 मिमी, बिलासपुर में 748.7 मिमी, मुंगेली में 888.3 मिमी, रायगढ़ में 815.6 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 665.6 मिमी, जांजगीर-चांपा में 618.3 मिमी, सक्ती में 614.2 मिमी, कोरबा में 719.2 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 745.4 मिमी, दुर्ग में 591.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 569.5 मिमी, राजनांदगांव में 791.4 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 930.5 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 750 मिमी, बालोद में 779.8 मिमी, बेमेतरा में 563.9 मिमी, बस्तर में 802.6 मिमी, कोण्डागांव में 701.4 मिमी, कांकेर में 713.7 मिमी, नारायणपुर में 704.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 857.1 मिमी और सुकमा में 1086.4 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुम सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU